न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 48 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.दलपतसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी शोभ तहसील फतेहगढ जिला जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 27/2012 बनवान दलपतसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री धर्माराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 20.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम शोभ के खसरा संख्या 253 रकबा 96.05 बीघा में से रकबा 75 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 23.05.2016 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम शोभ में रेस्पोडेंट/वादी को दिनांक 21.06.1971 को समरी खसरा संख्या 143 में से रकबा 75 बीघा भूमि आंवटित कर रेस्पोडेंट को आंवटित भूमि ग्राम शोभ के समरी खेत खसरा संख्या 143 व उसके वर्तमान खसरा संख्या 253 का कब्जा देकर मौके पर काबिज किया तब से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। भू प्रबंध अधिकारी ने अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग कर रेस्पोडेंट/वादी के समरी आंवटित खातेदारी का खसरा संख्या 143 वर्तमान खसरा संख्या 253 रकबा 75 बीघा शोभ मौजा शोभ बिला कब्जा दर्ज कर दिया, इस आंवटित आराजी को वादी/रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज नहीं करने का किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है बिना किसी आदेश भू प्रबंध अधिकारी को खातेदारी से रकबा हटाने की कोई शक्ति नहीं है। बंदोबस्त अधिकारी अपने इच्छा से प्रविष्टियां में परिवर्तन नहीं कर सकता। भू प्रबंध अधिकारी को खातेदारी की मूल प्रविष्टियों को दोहराने का अधिकार है जब तक परिवर्तन का कोई सक्षम अधिकारी का कोई आदेश न हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया है कि पत्रावली पर उलब्ध रिकॉर्ड भूमि आवंटन आवेदन पत्र प्रदर्श–1 अनुसार रेस्पोडेंट दलपतसिंह ने ग्राम शोभ में 75 बीघा भूमि आंवटन बाबत आवेदन किये जिसमें उसे इस पर भूमिहीन कृषक माना जाकर सकारात्मक रिपोर्ट होकर दिनांक 21.06.1971 को कमेटी की राय के अनुसार ग्राम शोभ के समरी खसरा संख्या 143 रकबा 851.15 बीघा में से 75 बीघा भूमि अलोट की जाती हैं के आदेश हुए जिसके अनुसरण में उप जिलाधीश जैसलमेर द्वारा प्रदर्श–2 आवंटन आदेश क्रमांक 2312–14 दिनांक 13.07.1971 जारी हुआ। चूंकि खसरा समरी का था इसलिए वक्त बंदोबस्त इसका अमल दरामद संबंधी रिकॉर्ड नहीं है, परन्तु अपीलांट पक्ष के गवाह पटवारी के अनुसार "इस आवंटन आदेश के बाद वादग्रस्त भूमि बाद में खारिज हो गई हो ऐसा कोई आदेश या रिकॉर्ड उसके पास नहीं है।" आवंटन आदेश आज भी प्रभावी है। रेस्पोडेंट का ग्राम शोभ के खेत खसरा संख्या 253 रकबा 96.05 बीघा पर संवत 2047 में प्रदर्श–5 मुताबिक कब्जा काश्त है जो संवत 2049 (प्रदर्श–6), 2050 (प्रदर्श–7), 2051 (प्रदर्श–8), 2052 (प्रदर्श–9), 2053 (प्रदर्श–10), 2054 (प्रदर्श–11), 2056 (प्रदर्श–12), 2057 (प्रदर्श–13), 2058 (प्रदर्श–14) अतिक्रमी के रूप में तावान की रसीद प्रदर्श–20 मुताबिक वर्ष 1989 संवत 2046 में भी काश्त है, जो वर्ष 2010 तक भी है। उसके शपथ–पत्र मुताबिक वादग्रस्त भूमि पर ही उसको आवंटन के फलस्वरूप कब्जा दिया गया था और उसी पर वह लगातार काबिज काश्त है। वह पशुपालक कृषक है और इसमें उसका पशुबाड़ा, झौपा, टांका इत्यादि भी बने हुए है। उसकी अधिकतम काश्त 30 बीघा पर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है परन्तु वह भेड़पालक होने के कारण संपूर्ण जमीन पर मवेशी पालन से ही आजीविका करता है। वादी/रेस्पोडेंट के गवाह भी वादग्रस्त भूमि पर उसके वक्त आवेदन से लगातार काबिज काश्त होने के कथन करते है। उतरदाता के शपथ–पत्र मुताबिक उसके खाते में कोई भूमि नहीं है बल्कि पिता के नाम 30.0629 हेक्टर भूमि हैं जिसमें उसका 1/5 निहितांश है। रिकॉड में यह भूमि सरकारी है और बंजड़ अवश्य दर्ज है परन्तु मौके पर काबिल काश्त है जो अपीलांट के गवाह के कथनों से साबित है। उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख के आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार कर वादग्रस्त भूमि ग्राम शोभ के खेत खसरा संख्या 253 रकबा 96.05 बीघा में से 75 बीघा पर रेस्पोडेंट भूमिहीन कृषक होने के नाते आवंटी और तब से अनवरत काबिज काश्त होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में उसे खातेदार घोषित किया है जो विधि सम्मत है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2012 बनवान दलपतसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बाबहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner